Annexure – VII

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

BAHADUR SHAH ZAFAR MARG

NEW DELHI – 110 002

PROFORMA FOR SUBMISSION OF INFORMATION AT THE TIME OF SENDING THE FINAL REPORT OF THE WORK DONE ON THE PROJECT

1. TITLE OF THE PROJECT : Gondia Jila Vankshetra ka Arthik Adhyayan (2001-2011)
2. NAME AND ADDRESS OF THE PRINCIPAL INVESTIGATOR :
   Dr. Archana B. Jain
3. NAME AND ADDRESS OF THE INSTITUTION :Natarwal Maniklal Dalal Arts & Commerce College, Pal Chowk, Gondia
4. UGC APPROVAL LETTER NO. AND DATE : 23-553/12 WRO 15 MAR 2013
5. DATE OF IMPLEMENTATION : April 2013
6. TENURE OF THE PROJECT : 2 Years
7. TOTAL GRANT ALLOCATED : 85000/-
8. TOTAL GRANT RECEIVED : 55000/-
9. FINAL EXPENDITURE : 85000/-
10. TITLE OF THE PROJECT : Gondia
11. OBJECTIVES OF THE PROJECT :

    गोंदिया जिला वनक्षेत्र का आर्थिक अध्ययन करने के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है।

    1. वन परिक्षेत्र में उपलब्ध वनस्पती व वन औषधियों से संबंधित जानकारी एकत्रित करना।
    2. चयनित गांवो में वनो पर अवलंबित परिवारो की जानकारी एकत्रित करना।
    3. विविध प्रकार के विभाजनों द्वारा इस जिल्हे के आर्थिक विकास कें संदर्भ में जानकारी देना।
    4. परिवारों के आर्थिक व सामाजिक जीवन पर होने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।
    5. दिन प्रतिदिन कम हो रही वन संपत्ती के संरक्षण के संबंध में लोगों की उदासीनता ज्ञात कर उनके कारणो पर ध्यान देकर उपाय योजना बनाना।

6. इन विभागों द्वारा किये जानेवाले प्रयासों का मूल्यांकन करना।
7. वन विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं पर आनेवाले खर्च तथा उसके लाभों की जॉच करना।

12.WHETHER OBJECTIVES WERE ACHIEVED :

गोंदिया जिल्हा वनक्षेत्र का आर्थिक अध्ययन का सकारात्मक परिणाम मिला तथा अपने उद्देश्य को पूर्ण करने में सफल रहे।

13. ACHIVEMENTS FROM THE PROJECT :

1. गोंदिया जिला वनक्षेत्र का आर्थिक अध्ययन करते समय वनक्षेत्रों में उपलब्ध वनस्पती, मुख्य वनोउपज तथा गौण उपज की प्रत्यक्ष जानकारी हासिल की।
2. चयनित गांवो के वनो पर निर्भर परिवारो की जानकारी एकत्रित की गयी। कृषि पर निर्भर तथा वनों पर आश्रित परिवार की संख्या प्राप्त की गयी।
3. बुरड काश्तकारों को वन विभाग से किफायती दर पर बांस की उपलब्धता की जानकारी हासिल कर गयी तथा कलात्मक वस्तुओं का निर्माण करते है।
4. तेंदूपत्ता संकलन करने वाले मजदूरों को वनविभाग से 2005 से बोनस उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त की गयी।
5. वन परिक्षेत्र से प्राप्त वन उपज पर आधारित लघु व कुटिर उघोग स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की गयी।
6. संशोधन कार्य वनों का संरक्षण व संवर्धन करने की दृष्टी से लोगों में जागरूकता लाने में सफल रहा है।

14. SUMMARY OF THE FINDINGS :

''वृक्ष से जल है, जल से अन्न है एंव अन्न ही जीवन है।'' इस कहावत से हम सभी परिचीत है। वन एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक आर्थिक संपदा है जो यहॉ एक ओर प्राकृतिक सौंदर्य को बढाने, पर्यावरण को स्वच्छ एंव संतुलित बनाये रखने, औद्योगिक विकास के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराने में सहायक है, वही दूसरी ओर इंधन के लिए लकडी, कमजोरवर्ग के लोगों के लिए रोजगार तथ पशुओं के लिए चारा उपलब्ध करानें में प्रमुख भूमिका निभाता है। जिसका उचित संरक्षण आवश्यक है।

जैसा की स्पष्ट है मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ती के लिये वनों का दोहन करता आया है। यद्यपी वर्तमान में मानव द्वारा वनों के संरक्षण, संवर्धन पर ध्यान दिया जा रहा है तथापि द्रुतगति से बढ़ती हुई जनसंख्या कृषि क्षेत्र का असंतुलित विस्तार, पशुओं की

स्वच्छंद चराई, अधिक धनार्जन के लाभ के लिये की गई कटाई के कारण वनों का क्षेत्र सिमटता जा रहा है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में वनों को राज्य के काश की समृध्दि का स्त्रोत बताया है। अतः उन्होंने वनों तथा वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिये कार्य करने को राज्य का कर्तव्य बताया है।

इस क्षेत्र के वनों का सर्वप्रथम अध्ययन वनविभाग से प्रत्यक्ष रूप में जुड़े हुये लोगों के द्वारा प्रारंभ किया गया। वास्तव में उनमें से अधिकांश अध्ययन की प्रवृत्ती वानस्पतिक है। स्वतंत्रता उपरांत 1952 में भारत सरकार ने नई राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की जिसमें वानिकी के पारिस्थितीकीय एंव सामाजिक पहलुओं को महत्व दिया। 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग ने वनों को अलग रूप से तीन वर्गो – संरक्षण वन उत्पादन एंव सामाजिक वन में विभाजित किया। वनों को संविधान की समवर्ती सूची में षामिल करके सरकार ने वनक्षेत्र में आ रही कमी को रोकने का प्रयास किया। वन संरक्षण अधिनियम 1980 से वन भूमि का गैर वनीय प्रयोगों के लिये स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगा।

प्राचीन काल से गोंदिया क्षेत्र गोंडराजा के अधिन था। उस समय यहॉ काफी घने जंगल थे। गोंड समाज यहॉ की पुरानी बस्ती थी। उनका प्रमुख व्यवसाय जंगल से गोंद व लाख लाकर बेचना था। इसलिये इस नगर का नाम गोंदिया पड़ा। जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 5640.51 वर्ग कि.मी. है। जिसमें वनक्षेत्र 2863 वर्ग कि.मी (50.04%) है इस जिले की जनसंख्या 1200151 (जनगणना 2001) है। प्रशासनिक दृष्टि से 8 तहसिलों के अलावा 8 पंचायत समिती 25 राजस्व मंडल 190 पटवारी हल्का तथा 556 ग्राम पंचायत और 886 आबाद ग्राम है।

मध्य भारत का यह क्षेत्र वन संपदा की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र है लेकिन यहॉ भी बढ़ती हुई जनसंख्या की जरूरतों की पूर्ति का दबाव तेजी से वनसंपदा पर पड़ा है। वनों के विकास की दर एंव दोहन में बहुत भारी अंतर है। कृषकों की सीधी भागीदारी द्वारा परोक्ष रू‍ से वनों को निस्तारित वन भूमि पर खेतों पर, सामुदायिक भूमि पर, खाली बंजर भूमि पर विकसित किया जा सकता है। इसके लिये कृषि वानिकी की विभिन्न पद्धतियॉ जैसे कृषि वानिकी पद्धति, वन चरागाह पद्धति, उद्यानिकी चरागाह पद्धति, कृषि वन बाड़ी पद्धती, बाड़ वृक्षारोपन, घरेलु वानिकी आदि इस क्षेत्र के लिये उपयोगी साबित हो सकते है।

भारत व ब्राजील विश्व के सबसे बडे वनौषधि निर्यातकों में से है। भारतीय वनौषधियों से हमें प्रतिवर्ष 550 करोड रूपयों की आय प्राप्त होती है। विदेशों में भारतीय

वनौषधियॉ लोकप्रिय हो रही हे। भारत से इनका निर्यात 7% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रहा है। गोंदिया वनक्षेत्र से हजारों टन जड़ी–बुटियों का व्यावसायिक उत्पादन हाल ही के वर्षों में आरंभ किया गया है।

औषधीय पौधों की खेती को व्यापक स्तर पर इस क्षेत्र में न अपनाये जाने का एक बड़ा कारण प्रचार–प्रसार का अभाव है। इनकी खेती का ज्ञान रखने वाले बहुत कम लोग इस अंचल में है। अधिक लाभप्रद होने के कारण इसके बारे में जानकारी देने वाले अधिकतर सलाहकार अधिक परामर्श शुल्क लेते है। जिससे इच्छुक लोग उनसे कम ही संपर्क करते है। कुछ संगठनों ने पिछले कुछ वर्षो में बहुत सी कार्यशालाओं का आयोजन किया है तथा इनकी कृषि तकनीकों एंव विपणन की जानकारी दी गई है। औषधिय पौधों की व्यावसायिक खेती में ध्यान रखने योग्य बातों का भी इस अध्ययन में विस्तार से चर्चा किया गया है।

क्षेत्र में बढ़ती हुई जनसंख्या एंव पशुसंख्या के परिणाम स्वरूप वन पर दबाव निरंतर बढ़ रहा है परिणामस्वरूप वन आधारित आवश्यकताओं की आपूर्ति करना एक महत्वपूर्ण चुनौती बन गई है। इस लिये वनों का नियोजित विकास एंव विदोहन इस प्रकार किया जाना चाहिये की वनों से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति निरंतर होती रहे तथा वर्तमान वन सुरक्षित रहने के साथ–साथ सर्वदा उत्पादनशील भी बना रहे।

वनों के विकास के लिए सरकारी नीति के तहत अनेक प्रयास किये जा रहे है ताकि वन क्षेत्र की उत्पादकता को बढाया जा सके। वनों के विकास के लिए कुछ सुझाव प्रस्तुत है।

1. वन लगाये जाये। जिले के प्रत्येक नागरिक को प्रतिवर्ष कम से कम एक वृक्ष लगाये उसकी देखरेख करने की प्रेरणा दी जाये।
2. बेकार भूमि पर वृक्ष लगाये। गांवो में बेकार पडी भूमियों पर वन लगाये ताकि इंधन की समस्या हल हो सकती है।
3. सड़को के अतिरिक्त नदियों, झिलों तथा रेल्वे लाईनो के किनारे वृक्ष लगाये जाये। कोई भी सडक का किनारा बिना वृक्ष के न रहे इस ओर विशेष ध्यान दिया जाये।
4. वनों की रक्षा तथा विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाये। इसके लिए वन अधिकारी तथरा वन संबधी संस्थाओ का समय–समय पर सम्मेलन बुलाये जा सकते है और तभी उनका सहयोग भी प्राप्त किया जा सकता है। अन्यथा समस्या बनी रहेगी।

5. स्थानीय लोगों को इन क्षेत्रों में कराये जानेवाले समस्त कार्यो में रोजगार के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित की जानी चाहीए। हस्त षिल्प व अन्य स्थानीय कलाओं को प्रोत्साहन दिलाते हुए उनके विक्रय की व्यवस्था कराई जा सकती है।
6. बडे सिंचाई योजनाओं या अन्य उद्योगों की स्थापना के क्षेत्र, वन्य प्राणी क्षेत्रो से दूर रखने होंगे। क्योंकि निर्माण की तैयारी, निर्माण कार्य व निर्माण के बाद तीनों ही आवश्यकताओं में इनका असर वन्य प्राणी व उनके आवस पर प्रतिकुल ही पडता है।
7. वनों कें प्रति हमारा दृष्टिकोन नया होना चाहिए। वनों को हम अपने पूर्वजों की धरोहर माने और हमारा यह कर्तव्य होना चाहिए की इसे बढाकर आगे आनेवाली पिढ़ियों को देवें।

15. CONTRIBUTION TO THE SOCIETY :

गोंदिया जिले के वन विभ्झाग का आर्थिक अध्ययन करने से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में वन विकास व संवर्धन के प्रति जागरूकता निर्माण हुई। सरकारी योजनाओं के तहत प्रयत्न होने वाले लाभ की जानकारी प्राप्त हुई। वानिकी को आधार बनाकर इन क्षेत्रों की गरीबी हटाने तथा क्षेत्रीय लोगों का आकांक्षाओं के अनुरूप उनके विकास को गति देना संभव है। समाज को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक परिस्थिती में सुधार के लिए प्रेरणा मिलेगी।

16. WHETHER ANY PH.D. ENROLLED/PRODUCED OUT OF THE PROJECT: ------

17. NO. OF PUBLICATIONS OUT OF THE PROJECT :--------

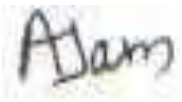

Dr. Archana B. Jain

(PRINCIPAL INVESTIGATOR)

Shri Yogesh M. Nasre

(PRINCIPAL)